

अप्रार्थीयान के पास धारण समस्त आराजी की जांच करवाई जाकर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.10.2009 अपास्त किया जाता है व प्रकरण उपखण्डाधिकारी रावतसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवेचन के अनुसार पुनः समस्त भूमि की जांच कर राज्य पक्ष व अप्रार्थीयान पक्ष से सम्पूर्ण साक्ष्य ली जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.4.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(भागीरथ शर्मा)
अपर जिला कलक्टर
बदामनगर